भारतीय मानक

Indian Standard

मलाईरहित दूध पाउडर – विशिष्टि

भाग 2 अतिरिक्त ग्रेड

(पहला पुनरीक्षण)

Skimmed Milk Powder – Specification

Part 2 Extra Grade

(First Revision)

आई सी एस 67.100.10

© बी आई एस 2014

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग

MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

नई दिल्ली-110002

NEW DELHI-110002

www.bis.gov.in www.standardsbis.in

नवंबर 2014 **मूल्य समूह 2**

डेयरी उत्पाद एवं उपस्कर विषय समिति, एफ ए डी 19

प्राक्कथन

यह भारतीय मानक (भाग 2) (पहला पुनरीक्षण) डेयरी उत्पाद एवं उपस्कर विषय समिति द्वारा मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने और खाद्य एवं कृषि विभागीय परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपनाया गया।

हमारे देश में दुग्ध उत्पादन की विशेषता मौसमी विभिन्नताएं तथा दुग्ध का शुष्कन करना है, जो इसके संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे इसकी कमी के दौरान भी खपत के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए शुष्कित दुग्ध उत्पाद, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी का एक अनिवार्य अंग बन गए हैं।

मलाईरहित दूध पाउडर, मानक ग्रेड तथा अतिरिक्त ग्रेड दोनों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करने वाला यह मानक दो भागों में पहली बार 1992 में प्रकाशित हुआ था।

इस अतिरिक्त ग्रेड मलाईरहित दूध पाउडर संबंधी मानक को विदेशी खरीदारों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मलाईरहित दूध पाउडर की अपेक्षाओं को कवर करने हेतु 'अतिरिक्त ग्रेड मलाईरहित दूध पाउडर' पर एक मानक तैयार करने हेतु डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, भारत सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर विकसित किया गया था।

इस पुनरीक्षण में, मानक को एफ एस एस ए आई विनियम, 2011 के साथ संरेखित करने हेतु ठोस दुग्ध में वसा नहीं बल्कि दुग्ध प्रोटीन की अपेक्षा और *ई. कोलाई*, खमीर और फंफूदी गणना, वायुजीवी तथा अवायुजीवी बीजाणु गणना तथा *लिस्टिरिया मोनोसाइटोजेन्स जैसी सूक्ष्मजीवविज्ञानी* आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा मलाईरहित दूध पाउडर में वसा के निर्धारण हेतु गर्बर पद्धति द्वारा एक वैकल्पिक विधि भी शामिल की गई है।

इस मानक को तैयार करते समय, *खाद्य सुरक्षा एवं मानक* (*खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक*) *विनियम*, 2011 और *विधिक माप विज्ञान* (*पैकेजबंद वस्तुएँ*) *नियम*, 2011 की अपेक्षाओं पर विचार किया गया है। हालांकि यह मानक, इन नियमों के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध के अधीन है, जहां भी लागू हो।

यदि देखना हो कि इस मानक में किसी अपेक्षा विशेष का पालन किया गया है या नहीं, तो परीक्षण या विश्लेषण में अवलोकन या गठन द्वारा प्राप्त परिणाम के रूप में जो भी अन्तिम मान आया हो, उसे आई एस 2 : 1960 'संख्यात्मक मानों को पूर्णांकित करने के नियम (*पुनरीक्षित*)' के अनुरूप पूर्णांकित में बदल लिया जाए। पूर्णांकित मानों में सार्थक स्थान उतने ही रखे जाएँ जितने इस मानक में निर्दिष्ट मान में दिए गए है।

भारतीय मानक

मलाईरहित दूध पाउडर – विशिष्टि

भाग 2 अतिरिक्त ग्रेड

(पहला पुनरीक्षण)

1 विषय-क्षेत्र

इस मानक में मलाईरहित दूध पाउडर और अतिरिक्त ग्रेड के नमूने लेने और परीक्षण की अपेक्षाओं और पद्धतियां निर्दिष्ट की गई है।

2 संदर्भ

अनुलग्नक क में सूचीबद्ध मानकों में प्रावधान शामिल हैं, जो इस पाठ में संदर्भ के माध्यम से इस मानक के प्रावधानों का गठन करते हैं। प्रकाशन के समय दर्शाए गए संस्करण वैध थे। सभी मानकों का पुनरीक्षण किया जा सकता है और इस मानक के आधार पर समझौताकारी पक्षों को नीचे दिए गए सबसे नवीन संस्करणों को लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3 परिभाषाएँ

इस मानक के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित परिभाषा लागू होगी।

3.1 मलाईरहित दूध पाउडर, अतिरिक्त ग्रेड - गाय या भैंस से प्राप्त या उनके मिश्रण द्वारा तैयार मलाईरहित दूध से फुहार शुष्कन के माध्यम से पानी को निकालकर प्राप्त किया गया उत्पाद।

4 विवरण

उत्पाद सफेद या सफेद में हरे रंग से लेकर हल्के क्रीम रंग का हो। यह गांठ से मुक्त हो सिवाय ऐसी गांठ के जो मामूली दबाव में आसानी से टूट जाती हैं।

5 अपेक्षाएँ

5.1 मलाईरहित दूध पाउडर के उत्पादन हेतु वांछित दूध का परिरक्षकों, उदासीनीकरण तथा मिलावट से मुक्त होने के संदर्भ में परीक्षण किया जाए [आई एस 1479 (भाग 1) *देखें*]

5.2 उत्पाद बाहरी पदार्थ, अलग से मिलाए गए रंग और अलग से मिलाए गए स्वाद से मुक्त होगा। उत्पाद मट्ठे और छाछ से भी मुक्त होगा।

5.3 उत्पाद में अतिरिक्त कैल्शियम क्लोराइड, साइट्रिक एसिड और सोडियम साइट्रेट, ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड के सोडियम लवण और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड (लीनियर फॉस्फेट के रूप में) हो सकते हैं, लेकिन निर्मित उत्पाद के द्रव्यमान में 0.3 प्रतिशत से अधिक न हों। इस तरह अलग से मिलाए गए पदार्थ की लेबल पर घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

5.4 उत्पाद या पुनर्गठित दूध की गंध रुचिकर एवं साफ होना चाहिए। यह थोड़ा पका हुआ हो सकता है लेकिन जला हुआ स्वाद नहीं आना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि स्वाद और गंध को संवेदी विशेषताओं के आधार पर आंका जा सकता है (आई एस 10030 *देखें)*

5.5 सभी प्रकार का प्रसंस्करण और शुष्कन इस तरह से किया जाना चाहिए कि पोषक तत्व, विशेषतः प्रोटीन की गुणवत्ता को कम नुकसान हो।

5.6 स्वास्थ्यकर अवस्था

सामग्री को लाइसेंस प्राप्त परिसरों में स्वास्थ्यकर अवस्था में निर्मित और पैकजबंद किया जाए। (आई एस 2491 *देखें)*/ स्वच्छता के बुनियादी सिद्धांतों को उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जाना चाहिए।

5.7 उत्पाद सारणी 1 और सारणी 2 में दी गई अपेक्षाओं के भी अनुरूप हो।

6 पैकिंग तथा मुहरांकन

6.1 पैकिंग

6.1.1 *खुदरा पैकिंग*

उत्पाद साफ एवं मजबूत धारकों (आई एस 11078 *देखें*) में या खाद्य ग्रेड लचीले पैकेज में रखा जाए, जो फिल्म या बोर्ड, कागज, पॉलीइथिलीन, पॉलिएस्टर धातुयुक्त फिल्म के किसी भी अधःस्तर के संयोजन या एल्यूमीनियम पन्नी से बनी हो, जो इसे खराब होने से बचाए। प्लास्टिक सामग्री के मामले में, केवल खाद्य ग्रेड प्लास्टिक (आई एस 10171 *देखें*) का उपयोग किया जाए।

टिप्पणियाँ

1 खाद्य ग्रेड प्लास्टिक सामग्री के लिए, *खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजबंदी)* विनियम, 2011 के अध्याय 2 के खंड 2.1.1 के उप-खंड 2 का भी संदर्भ लिया जाना चाहिए।

2 लचीले पैक के मामले में, निम्नलिखित जानकारी लेबल पर अंकित की जाए:

'खोलने के बाद, उत्पाद सामग्री को तुरंत किसी साफ वायु रोधी धारक में रखा जाना चाहिए'।

6.1.1.1 उत्पाद को विधिक माप विज्ञान (*पैकेजबंद वस्तुएँ*) *नियम*, 2011 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट मात्रा में पैक किया जाए।

6.1.1.2 अलग-अलग खुदरा पैकों को और अधिक मजबूत थैले/कार्टन में **6.1.2** में बताए अनुसार पैक किया जा सकता है।

सारणी 1 मलाईरहित दूध पाउडर, अतिरिक्त ग्रेड के लिए अपेक्षाएँ

(*खंड* 5.7)

क्र. सं. (1)	विशेषताएँ (2)	अपेक्षाएँ (3)	परीक्षण की विधि, संदर्भ (4)
i)	नमी, द्रव्यमान प्रतिशत, *अधिकतम*	3.5	आई एस 11623
ii)	दूध प्रोटीन में वसा रहित ठोस दूध, द्रव्यमान प्रतिशत, *न्यूनतम*	34.0	आई एस 7219
iii)	दूध वसा, द्रव्यमान प्रतिशत, *अधिकतम*	1.25	आई एस 11721 या आई एस 13334 (भाग 1)[1)] का अनुलग्नक ख
iv)	अघुलनशीलता सूचकांक, ml, *अधिकतम*	0.5	आई एस 12759
v)	कुल राख (शुष्क आधार पर), द्रव्यमान प्रतिशत, *अधिकतम*	8.2	आईएस 14433 का अनुलग्नक ख
vi)	अनुमापनीय अम्लता, ml NaOH/10 ग्राम वसा रहित ठोस पदार्थ का 0.1 N	12-18	आई एस 11766
vii)	लैक्टेट सामग्री, मिलीग्राम / ग्राम, *अधिकतम*	1.5	आई एस 11202
viii)	झुलसे हुए कण, मिलीग्राम, *अधिकतम*	15 (डिस्क ख के समतुल्य)	आई एस 13500

[1)] विवाद की स्थिति में, आई एस 11721 में बताई गई विधि संदर्भ पद्धति होगी।

सारणी 2 मलाईरहित दूध पाउडर, अतिरिक्त ग्रेड के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञान संबंधी अपेक्षाएँ

(*खंड* 5.7)

क्र. सं. (1)	विशेषताएँ (2)	प्रतिचयन योजना[1)] (3)	अपेक्षाएँ (4)	परीक्षण की विधि, संदर्भ (5)
i)	जीवाणु गणना, प्रति ग्रा, *अधिकतम*	m	40 000	आई एस 5402
		M	50 000	
ii)	कोलीफॉर्म गणना प्रति ग्रा	m	10	आई एस 5401 (भाग 1)
		M	50	
iii)	*एस्चेरिचिया कोलाई* , प्रति ग्राम	M	अनुपस्थित	आई एस 5887 (भाग 1)
iv)	कोगुलेज़ पॉजिटिव *स्टैफिलोकोकस ऑरियस* , प्रति ग्रा, *अधिकतम*	m	-	आई एस 5887 (भाग 2)
		M	10	

v)	*साल्मोनेला* , प्रति 25 ग्राम[2)]	M	अनुपस्थित	आई एस 5887 (भाग 3)
vi)	बीजाणु गणना, प्रति ग्राम			आई एस 5887 (भाग 4)
	क**)** एरोबिक (*बैसिलस सेरेस)*	m	100	
		M	1 000	
	ख**)** अवायवीय (*क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेन्स)*	m	10	आई एस 5887 (भाग 6)
		M	100	
vii)	*लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स* , प्रति ग्राम	M	अनुपस्थित	आई एस 14988 (भाग 1)
viii)	प्रतिचयन दिशानिर्देश[1)]	n	5	
		c	2 [क्रमांक (i), (ii) और (vi) के लिए] 0 [क्रमांक (iii), (iv), (v) और (vii] के लिए)	
		भंडारण एवं परिवहन	परिवेश, *अधिकतम* 30°C	

[1)] मलाईरहित दूध पाउडर, मानक ग्रेड हेतु अनुपालन किए जाने वाले सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण की प्रतिचयन योजना और प्रतिचयन दिशानिर्देश आई एस 13334 (भाग 1) के अनुलग्नक ग में दिए गए हैं।

[2)] साल्मोनेला की आवश्यकता का उत्पादन क्षेत्र से दूर स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा।

6.1.2 *थोक पैकेजबंदी*

उत्पाद को न्यूनतम मोटाई 0.05 मिमी के खाद्य ग्रेड पॉलीइथिलीन (आई एस 10171 *देखें*) के बैग में 25 किलोग्राम की मात्रा में पैक किया जा सकता है। थैलों को डोरी या रबर बैंड से बांधकर ठीक से बंद किया जाना चाहिए या ऊष्मा द्वारा सीलबंद किया जाना चाहिए और बाद में निम्नलिखित में से किसी में बंद किया जाना चाहिए:

क) आई एस 11824 के अनुरूप बोरे;

ख) बहु-दीवार वाले क्राफ्ट पेपर, जैसे न्यूनतम 80 g/m^2 (जी एस एम) ग्रेड के क्रेप क्राफ्ट पेपर बैग, जिसमें हेसियन कपड़े से अस्तर लगा हो, जिनका द्रव्यमान 270 g/m^2 (जी एस एम) है और न्यूनतम 80 g/m^2 (जी एस एम) के सादे क्राफ्ट पेपर की दो आंतरिक परतें हैं।

6.2 मुहरांकन

प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित सूचना स्पष्ट तथा अमिट रूप से अंकित की जाए:

क) उत्पाद का नाम तथा ब्रांड का नाम, यदि कोई हो;

ख) निर्माता का नाम और पता

ग) बैच या कोड संख्या;

घ) निर्माण या पैकेजबंदी का महीना और वर्ष;

ङ) शुद्ध मात्रा (**6.1.1.1** देखें);

च) भंडारण के लिए दिशा-निर्देश;

छ) ....से पहले उपयोग करें (बड़े अक्षरों में माह और वर्ष);

या

पैकजबंदी/निर्माण की तारीख से ....(महीने) से पहले उपयोग करें;

ज) पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश;

झ) इस धारक में.........लीटर के समकक्ष मलाईरहित दुग्ध है;

ञ) **6.1.1** की टिप्पणी 2 के तहत दी गई जानकारी, यदि लागू हो; और

ट) *विधिक माप विज्ञान (पैकेजबंद वस्तुएँ) नियम, 2011* और *खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योज्य) विनियम, 2011* के तहत कोई अन्य अपेक्षाएं।

6.2.1 *भारतीय मानक ब्यूरो की मानक मुहर*

उत्पाद पर मानक मुहर भी अंकित की जा सकती है।

6.2.1.1 मानक मुहर का उपयोग *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986* के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है। जिन शर्तों के अधीन निर्माताओं या उत्पादकों को मानक मुहर का उपयोग करने का लाइसेंस दिया जा सकता है, उनका विवरण भारतीय मानक ब्यूरी से प्राप्त किया जा सकता है।

7 नमूनाकरण

सामग्री के प्रतिनिधि नमूने लेने की विधि और अनुरूपता के मानदंड आई एस 1165 में निर्धारित किए गए अनुसार हों।

अनुलग्नक क

(*खंड* 2)

संदर्भित भारतीय मानकों की सूची

आई एस सं.	*शीर्षक*
360 : 1964	अमाइल अल्कोहल के लिए विशिष्टता
1165 : 2002	दुध पाउडर के लिए विशिष्टता – विशिष्टता (पांचवां पुनरीक्षण)
1479 (भाग 1) : 1960	डेयरी उद्योग के लिए परीक्षण की विधि: भाग 1 दूध की तीव्र जांच
2491 : 2013	खाद्य स्वच्छता – सामान्य सिद्धांत-रीति संहिता (तीसरा पुनरीक्षण)
5401 (भाग 1) : 2002	सूक्ष्मजीवविज्ञान – कॉलीफॉर्म की गणना के लिए सामान्य मार्गदर्शन : भाग 1 कालोनी गणना तकनीक (पहला पुनरीक्षण)
5402 : 2002	सूक्ष्मजीवों की गणना के लिए सामान्य मार्गदर्शन – 30°C पर कॉलोनी गणना तकनीक (पहला पुनरीक्षण)
5403 : 1999	खाद्य पदार्थों के खमीर और फंफूद की गणना की विधि (पहला पुनरीक्षण)
5887 (भाग 1) : 1976	खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का पता लगाने की विधि: एस्चेरिचिया कोलाई का अलगाव, पहचान और गणना
(भाग 2) : 1976	स्टैफिलोकोकस ऑरियस और मल स्ट्रेप्टोकोकी का अलगाव, पहचान और गणना (पहला पुनरीक्षण)
(भाग 3) : 1999/आई एस ओ 6579 : 1993	साल्मोनेला का पता लगाने की विधि पर सामान्य मार्गदर्शन (दूसरा पुनरीक्षण)
(भाग 4) : 1999	क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस (क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची) और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम का अलगाव और पहचान और क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस (द्वितीय पुनरीक्षण) की गणना
(भाग 6) : 2012/ आई एस ओ 7932 : 2004	भोजन और पशु आहार सामग्री की सूक्ष्म जीव विज्ञान – प्रकल्पित बैसिलस सेरेस की गणना के लिए क्षैतिज विधि : भाग 6 30°C पर कॉलोनी गणना तकनीक
7219 : 1973	खाद्य और भरण सामग्री में प्रोटीन के निर्धारण की विधि
10030 : 1981	दूध पाउडर के संवेदी मूल्यांकन की विधि
10171 : 1999	खाद्य पैकेजबंदी के लिए प्लास्टिक की उपयुक्तता पर दिशानिर्देश (द्वितीय पुनरीक्षण)

आई एस सं.	*शीर्षक*
11078 : 1993	दूध पाउडर के लिए गोल खुले शीर्ष सैनिटरी डिब्बे की विशिष्टता
11623 : 2008/ आई एस ओ 5537 : 2004	शुष्क दूध – नमी की मात्रा का निर्धारण (संदर्भ विधि)
11721 : 2005	शुष्क दूध और शुष्क दूध उत्पाद – वसा सामग्री का निर्धारण – ग्रेविमेट्रिक विधि (संदर्भ विधि) (पहला पुनरीक्षण)
11766 : 1986	दूध पाउडर और इसी तरह के उत्पादों में अनुमापनीय अम्लता के निर्धारण की विधि
11824 : 1986	मलाईरहित दूध पाउडर की पैकेजबंदी के लिए कागज लेपित उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन बुने हुए बोरे

आई एस सं.	*शीर्षक*
12759 : 1989	शुष्कित दूध और शुष्कित दुग्ध उत्पाद – अघुलनशीलता सूचकांक का निर्धारण
13334 (भाग 1) : 2014	मलाई रहित दूध पाउडर – विशिष्टता : भाग 1 मानक ग्रेड (दूसरा पुनरीक्षण)
13500 : 1992	शुष्क दूध के चूर्ण का छिड़काव – झुलसे हुए कण – निर्धारण
14433 : 2007	शिशु दूध के विकल्प – विशिष्टता (पहला पुनरीक्षण)
14988 (भाग 2) : 2002/ आई एस ओ 11290-2 : 1998	भोजन और पशु आहार सामग्री की सूक्ष्म जीव विज्ञान – लिस्टिरिया मोनोसाइटोजेन्स की पहचान और गणना की क्षैतिज विधि : भाग 2 गणना विधि

भारतीय मानक ब्यूरो

भा मा ब्यूरो मानकीकरण के कार्यकलापों के सुमेलित विकास, वस्तुओं के मुहरांकन तथा गुणता प्रमाणन एवं देश में इससे संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए वर्ष 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

कॉपीराइट

भा मा ब्यूरो के सभी प्रकाशनों पर इसका सर्वाधिकार है। इन प्रकाशनों को किसी भी प्रकार भा मा ब्यूरो से लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता है। मानक के कार्यान्वयन के दौरान, यह मुक्त रूप से आवश्यक ब्यौरों के उपयोग करने से वंचित नहीं करता, जैसे संकेत और आकार, टाइप या ग्रेड। कॉपीराइट से संबंधित पूछताछ निदेशक (प्रकाशन) भा मा ब्यूरो को सबंधित की जाए।

भारतीय मानकों की समीक्षा

टिप्पणियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर मानकों में संशोधन जारी किए जाते हैं। समय-समय पर मानकों की समीक्षा भी की जाती है; जब ऐसी समीक्षा इंगित करती है कि किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो संशोधनों के साथ मानक की पुनः पुष्टि की जाती है; यदि समीक्षा इंगित करती है कि परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो इसमें संशोधन किया जाता है। भारतीय मानकों के प्रयोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास 'बीआईएस कैटलॉग' और 'मानक: मासिक परिवर्धन' के नवीनतम अंक हैं।

यह भारतीय मानक प्रलेख: सं.: एफ ए डी 19 (2331) से विकसित किया गया है।

प्रकाशन से अब तक संशोधन

संशोधन संख्या	जारी करने की तारीख	प्रभावित पाठ्य

भारतीय मानक ब्यूरो

मुख्यालय:

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002
टेलीफोन : 2323 0131, 2323 3375, 2323 9402 *वेबसाइट* : www.bis.org.in

क्षेत्रीय कार्यालय:			*टेलीफोन*
केंद्रीय	:	मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002	{ 2323 7617 2323 3841
पूर्वी	:	1/14 सी.आई.टी. योजना VII एम, वी.आई.पी. रोड, कंकुरगाछी कोलकाता 700054	{ 2337 8499, 2337 8561 2337 8626, 2337 9120
उत्तरी	:	एस.सी.ओ. 335-336, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ 160022	{ 260 3843 260 9285
दक्षिणी	:	सी.आई.टी. कैंपस, IV क्रॉस रोड, चेन्नई 600113	{ 2254 1216, 2254 1442 2254 2519, 2254 2315
पश्चिमी	:	मानकालय, ई9 एम.आई.डी.सी., मरोल, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400093	{ 2832 9295, 2832 7858 2832 7891, 2832 7892
शाखाएँ	:	अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, परवाणू, पटना, पुणे, राजकोट, विशाखापत्तनम।	

भा मा ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित